कोसी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0

गौरवगढ़, वार्ड संख्या 04, किशनपुर रोड, सुपौल

सं0:के.डी.यू.एस.एस.एल:विप0:निविदा: 3610 दिनांक: 12/09/2025

सुधा दूध एवं दुग्ध जन्य पदार्थ के वितरक–सह–परिवहनकर्ता हेतु निविदा

निविदा सूचना (सं0 ...../2025)

कोसी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, सुपौल के विपणन प्रक्षेत्र के (1) बाइसी चौक, शिव नगर, भीमनगर, बीरपुर, बलुआ बाजार, जिला सुपौल पथ, (2) कुमारखंड, मीरगंज, मुरलीगंज, बिहारीगंज, पुरैनी, चौसा, जिला मधेपुरा पथ, (3) मानिकपुर, भर्राही बाजार, पस्तपार, ग्वालपाड़ा, उदाकिशनगंज, आलम नगर, जिला मधेपुरा पथ मे सुधा दूध एवं दुग्ध जन्य पदार्थो के परिवहन एवं वितरण के लिए अनुभवी एवं कुशल वितरक की आवश्यकता है, जो डेयरी के विपणन को वृद्धि करने में सक्षम हो, इस कार्य हेतु इच्छुक व्यक्ति या फर्म जिनके पास पफ इंशुलेटेड टाटा 407, क्षमता 300 क्रेट या समतुल्य क्षमता की गाड़ी उपलब्ध हो, विहित प्रपत्र में निविदा आमंत्रित हैं।

निविदा प्रपत्र 1000/–(एक हजार) रूपये नगद भुगतान पर दिनांक 13/09/2025 से 23/09/2025 तक किसी भी कार्य दिवस को पूर्वा0 10.30 बजे से अप0 3.30 बजे तक कोसी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, सुपौल के कार्यालय सुपौल से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट www.supauldairy.com पर उपलब्ध है। वेबसाइट से डाउनलोड किये गये आवेदन प्रपत्र शुल्क के एवज मे 1000/–(एक हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट(राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत) कोसी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 के नाम जो सुपौल मे भुगतेय हो, प्री–क्वालिफिकेशन बीड के साथ अलग संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा प्रपत्र मे निविदा भरने हेतु दिशा–निर्देश, एकरारनामा, प्री–क्वालिफिकेशन बीड(निविदा पूर्व योग्यता) एवं वित्तीय/प्राइस बीड के लिए आवेदन प्रपत्र उपलब्ध होगा।

विहित प्रपत्र में पूर्ण रुप से भरी हुई निविदा संघ मुख्यालय, सुपौल में दिनांक 24/09/2025 के 05.00 बजे अपराह्न तक **दो अलग–अलग मुहरबंद लिफाफ जो एक बड़े लिफाफा में बंद हो,** में जिसपर "प्री–क्वालिफिकेशन बीड" (निविदा पूर्व योग्यता) एवं "वित्तीय/प्राइस बीड" के लिफाफे पर विपणन पथ एवं वितरण कार्य का नाम लिखा हो प्राप्त की जायेगी, तथा दिनांक 25/09/2025 को 03.00 बजे अपराह्न में निविदादाताओं के समक्ष संघ मुख्यालय सुपौल के कार्यालय में "प्री–क्वालिफिकेशन बीड" खोला जायेगा।

अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये किसी भी निविदा को पूर्णतः अथवा आंशिक संशोधन/रद्द करने एवं क्षेत्र में परिवर्तन विस्तार/कटौती करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

12/9/25

प्रबन्ध निदेशक

प्रति0 : सूचना पट

: महा प्रबन्धक/प्रबन्धक(विपणन) कॉम्फेड, पटना।

: प्रबन्ध निदेशक– भी0 पी0 एम0 यू0, पटना/डी0 आर0 एम0 यू0, बरौनी/तिमूल, मुजफ्फरपुर/मदुस, समस्तीपुर/बिक्रमशीला दुग्घ संघ, भागलपुर/मगध दुग्ध संघ, गया/ शाहाबाद दुग्ध संघ, आरा।

: मुख्य कार्यपालक– जमशेदपुर डेयरी, जमशेदपुर/कोशी डेयरी प्रोजेक्ट, पूर्णिया/बिहारशरीफ डेयरी प्रोजेक्ट, नालंदा/बोकारो डेयरी, बोकारो/राँची डेयरी, राँची।

CamScanner

कोसी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
गौरवगढ़, वार्ड सं0 04, किशनपुर रोड,
जिला–सुपौल

सुपौल डेयरी के विपणन क्षेत्र में
वितरक की नियुक्ति हेतु

निविदा प्रपत्र

01) क्षेत्र : बाइसी चौक– बलुआ बाजार विपणन पथ,
{ बाइसी चौक, शिव नगर, भीमनगर, बीरपुर, बलुआ बाजार पथ एवं इसके आस–पास के क्षेत्र }

02) क्षेत्र : कुमारखंड– चौसा विपणन पथ,
{ कुमारखंड, मीरगंज, मुरलीगंज, बिहारीगंज, पुरैनी, चौसा एवं इसके आस–पास के क्षेत्र}

03) क्षेत्र : मानिकपुर– आलम नगर विपणन पथ,
{ मानिकपुर, भर्राही बाजार, पस्तपार, ग्वालपाड़ा, उदाकिशनगंज, आलम नगर एवं इसके आस–पास के क्षेत्र}

निविदा प्रपत्र संख्या :

प्रपत्र का मूल्य रू0 1000/– (वापसी योग्य नहीं)

निविदादाता का नाम ....

महत्वपूर्ण तिथियाँ

निविदा प्रपत्र क्रय/डाउनलोड करने की अवधि	–दिनांक 13.09.2025 से दिनांक 23.09.2025 तक
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	–दिनांक 24.09.2025 अपराह्न 05:00 बजे तक
तकनिकी निविदा खोलने की तिथि	–दिनांक 25.09.2025 अपराह्न 03:00 बजे

CamScanner

अनुलग्नक 'क'

पथ में पड़ने वाले क्षेत्रों का नाम एवं विस्तृत विवरणी

क्र0 सं0	पथ का नाम	पथ के अंतर्गत आनेवाले क्षेत्र	कुल दुरी आना एवं जाना (लगभग)	प्रतिदिन औसत दूध बिक्री एवं दुग्ध उत्पाद	जमानत राशि	बैंक गारन्टी राशि (रू0)	अग्रधन राशि	गाड़ी का विवरण के साथ खलासी एवं चालक का उल्लेख
01	बाइसी चौक–बलुआ बाजार विपणन पथ	बइसी चौक, शिव नगर, भीमनगर, बीरपुर, बलुआ बाजार पथ एवं इसके आस–पास के क्षेत्र	140 कि0 मी0	पउच दूध 3000–3500 लीटर एवं दुग्ध उत्पाद रू0 50,000.00	200000	250000	50,000	टाटा 407 या उसके समतुल्य (03 टन क्षमता) गाड़ी साथ में एक चालक एवं एक खलासी प्रति पाली अनिवार्य होगा ।
02	कुमारखंड–अरजपुर विपणन पथ	कुमारखंड, मीरगंज, मुरलीगंज, बिहारीगंज, पुरैनी, चौसा एवं इसके आस–पास के क्षेत्र	220 कि0 मी0	पउच दूध 4500–5000 लीटर एवं दुग्ध उत्पाद रू0 75,000.00	200000	300000	50,000	टाटा 407 या उसके समतुल्य (03 टन क्षमता) गाड़ी साथ में एक चालक एवं एक खलासी प्रति पाली अनिवार्य होगा ।
03	मानिकपुर–आलम नगर विपणन पथ	मानिकपुर, भर्राही बाजार, परसपार, ग्वालपाड़ा, उदाकिशनगंज, आलम नगर एवं इसके आस–पास के क्षेत्र	140 कि0 मी0	पउच दूध 4000–4500 लीटर एवं दुग्ध उत्पाद रू0 70,000.00	200000	300000	50,000	टाटा 407 या उसके समतुल्य (03 टन क्षमता) गाड़ी साथ में एक चालक एवं एक खलासी प्रति पाली अनिवार्य होगा ।

CamScanner

कोसी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
इकाई–सुपौल डेयरी
निविदा जमा करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश

1. पूर्ण भरे हुए निविदा प्रपत्र को निबंधित डाक/कुरियर या हाथों हाथ बंद लिफाफे में "कोसी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, सुपौल डेयरी के कार्यालय में दिनांक **24.09.2025** को **05:00** बजे अपराह्न तक जमा किया जायेगा। तकनीकि निविदा एवं वित्तीय निविदा को पूर्ण रूप से भर कर अलग अलग लिफाफे में बंद करेंगे एवं उस पर क्रमशः तकनीकि निविदा एवं वित्तीय निविदा लिखेंगे तथा दोनों ही लिफाफे पर आवेदित पथ का नाम एवं निविदादाता अपना पत्राचार का पता, नाम सहित लिखेंगे। दोनों भरे लिफाफा को एक बड़े लिफाफे में रख कर बंद लिफाफे में जमा करना होगा, जिस पर स्पष्ट रूप से सुधा दुग्ध के वितरक हेतु निविदा/आवेदित पथ का नाम/अंतिम तिथि एवं समय अंकित होना चाहिए तथा निविदादाता का नाम एवं पूर्ण पता लिखा रहना चाहिए।

2. अंतिम तिथि एवं निर्धारित समय तक प्राप्त निविदा में से तकनीकि निविदा को दिनांक **25.09.2025** को **03:00** बजे अपराहन् में गठित कमिटी के द्वारा खोला जायेगा, जिसमें निविदादाता या उनके प्राधिकृत व्यक्ति (प्राधिकृत किये जाने से संबंधित प्राधिकार पत्र निविदादाता के लेटर हेड पर लिखवाकर लाना आवश्यक होगा) उपस्थित रह सकते है।

3. निविदा प्रपत्र में दिए गये सभी वांछनीयता के संदर्भ में आवेदक को दस्तावेज एवं उनमें दर्शाए गये अग्रधन की राशि जमा करना अनिवार्य है। निविदा प्रपत्र के आवश्यक शर्त्तों के संदर्भ में प्रमाण के रूप में मांगे गये दस्तावेज या उसके अनुरूप मानक पूरा नहीं करने पर निविदा को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, फलस्वरूप निविदादाता का निविदा स्वतः रद्द हो जायेगा।

4. दुग्ध जन्य उत्पादों के वितरण के लिए निविदादाताओं को दर नहीं देना है। प्रोडक्ट पर पूर्व से घोषित डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन ही प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को देय होगा।

5. तकनीकि निविदा में सफल निविदादाताओं का वित्तीय निविदा बाद में खोली जाएगी जिसकी सूचना संबंधित निविदादाताओं को उनके द्वारा दिए गये पते/इमेल पर दिया जाएगा। निविदा खोलने की तिथि को अगर अवकाश का दिन घोषित कर दिया जाता है, तो अवकाश के बाद आने वाले पहले कार्य दिवस को निविदा खोला जायेगा।

6. निविदादाता का भारतीय नागरिक, व्यस्क तथा कानूनी दृष्टिकोण से एकरारनामा करने के लिए योग्य होना आवश्यक है। आवेदित क्षेत्र के आवेदक को प्राथमिकता दी जा सकती है।

7. एकरारनामा, शपथ पत्र एवं बंध पत्र की प्रतिलिपि निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है जिसमें अंकित शर्त निविदादाता को मान्य होना चाहिए।

8. वितरक हेतू अग्रधन की राशि 50,000/–रू0 बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप मे जो "कोसी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0", के नाम निविदा पत्र के साथ अलग–अलग संलग्न करना अनिवार्य होगा। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक किसी भी शिड्यूल बैंक का होना चाहिए जो सुपौल में भुगतेय होगा अन्यथा निविदा रद्ध कर दिया जाएगा।

9. सशर्त, तार, फैक्स, ईमेल द्वारा भेजे गए निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

10. (क) तकनीकि निविदा में असफल होने अथवा कार्य आवंटन नहीं होने की स्थिति में अग्रधन की राशि अधिकतम 120 दिनों में चेक अथवा आर टी जी एस के माध्यम से वापस कर दिया जाएगा एवं कार्य आवंटन के पश्चात् कार्य नहीं करने की स्थिति में अग्रधन की जमा राशि को जब्त कर ली जाएगी। चयनित निविदादाताओं द्वारा जमा की गई अग्रधन राशि को जमानत राशि के रूप में समायोजित की जाएगी।

    (ख).प्री क्वालीफिकेशन बीड(आवेदन प्रपत्र) के साथ अग्रधन राशि जमा करना आवश्यक होगा। कार्यादेश निर्गत होने के 10 दिनो के अन्दर जमानत राशि एवं बैंक गारन्टी जमा करना होगा।

11. तकनिकी सत्यापन के दौरान यदि आवश्यक पाया गया तो कमिटि द्वारा आवश्यक वैधानिक पूरक विवरण की मांग की जा सकती है, जिसे निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत करना होगा।

12. जो निविदादाता पूर्व से वितरक का कार्य कर रहे है उनका निविदा सम्पन्न होने (कार्यादेश निकलने) तक की तिथि के प्रातः पाली तक योजना में किसी भी तरह का बकाया (पैसा एवं क्रेट) न हो अन्यथा उनका वित्तीय निविदा खुलने के पश्चात भी उनकी निविदा रद्द कर दी जायेगी।

CamScanner

13. जमानत राशिः—

सफल निविदादाता को कार्य आवंटन के पश्चात् निधारित जमानत राशि का बैंकड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में जो "कोसी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0" के नाम जमा करना अनिवार्य होगा। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक किसी भी शिड्यूल बैंक का होना चाहिए जो सुपौल में भुगतेय होगा, उसे 10 दिनो के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा। अग्रधन की राशि को जमानत राशि में समायोजित कर लिया जाएगा।

14. दूध एवं प्रोडक्टस का वितरण कार्य आवंटित होने पर प्रतिदिन आवश्यकता अनुसार सुबह एवं शाम इन्सुलेटेड गाड़ी से वितरण करना होगा। प्रत्येक वर्ष कार्यादेश के विस्तारण परिवहन गाड़ी की अवस्था का भौतिक सत्यापन कमिटी के अनुशंसा के आधार पर कार्य विस्तारित किया जाऐगा।

15. निविदादाता को गाड़ी का अद्यतन दस्तावेज निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

16. निविदा भरने से पूर्व इच्छुक आवेदक को चाहिए कि वे सुपौल डेयरी के विपणन शाखा के सक्षम पदाधिकारी से दूध एवं दुग्ध जन्य पदार्थ वितरक से संबंधित कार्यकलाप को भली भाँति समझ लें।

17. वित्तीय निविदा में भरे गये वितरक मार्जिन का पूर्ण औचित्य एवं विस्तृत गणना निविदा पत्र के साथ संलग्न करना होगा। युक्तिपूर्ण वितरक मार्जिन नहीं पाये जाने पर कमिटी के अनुशंसा पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त निविदादाता द्वारा दिये गये वितरक मार्जिन को अयोग्य करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

18. वित्तीय निविदा में भरे गये वितरक मार्जिन का पूर्ण विवरणी तथा गली/मुहल्ला/संकीर्ण रास्ता में अलग से छोटी वाहन/ऑटो द्वारा दूध वितरण को ध्यान में रखकर साक्षात्कार समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

19. डीजल मूल्य में कम से कम रू0 3/—(तीन) रु0 बढ़ोतरी/घटोतरी होने पर परिवहन दर में बढ़ोतरी/घटोतरी कॉम्फेड पटना के दिशा निर्देश के अनुसार समय समय पर किया जाएगा।

20. चयनित निविदादाताओं (चयनित क्षेत्र में) को अपने वितरक कार्यालय में मोबाईल/डीप फ्रीज/कम्प्यूटर की सुविधा अवश्य रखनी होगी। चयनित क्षेत्र में उनका कार्यालय रखना होगा।

21. सफल एवं चयनित निविदादाताओं को एक साल के लिए वितरक का कार्य आवंटित किया जाएगा। इस एक साल के कार्य अवधि में उनके कार्यों की समीक्षा के उपरान्त संतोषप्रद पाये जाने पर पुनः पूर्व शर्त्तों एवं वितरक मार्जिन के आधार पर अवधि विस्तारित किया जा सकता है।

22. सफल आवेदकों को दूध एवं दुग्ध जन्य पदार्थों की आपुर्त्ति हेतु अग्रिम राशि सिर्फ योजना के अधिकृत बैंक में ही जमा करना होगा।

23. वितरक को अपने कार्य क्षेत्र में कार्यरत रिटेलरों से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद हेतु अग्रिम राशि अपने बैंक खाते में जमा लेनेके लिए ऑनलाईन सुविधा (फोन पे, गुगल पे, ऑनलाईन बैंक ट्रांस्फर इत्यादि) मुहैया कराना आवश्यक होगा।

24. सभी निविदादाता को पैन नं0/जी0 एस0 टी0 धारक होना चाहिए। यदि निविदा देते समय निविदादाता के पास पैन नं0 एवं जी0 एस0 टी0 नहीं रहने की स्थिति में आवंटन के उपरान्त चयनित निविदादाता को 10 दिनों के अन्दर पैन नं0/जी0 एस0 टी0 नं0 लेना आवश्यक होगा।

25. कार्य आवटंन के उपरान्त चयनित निविदादाता को 10 दिनों के अन्दर फूड लाईसेंस (FSSAI License) एवं जिलाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक/वरीय आरक्षी अधीक्षक द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

26. (क) कॉम्फेड/कॉम्फेड की इकाई/संबंधित दुग्ध संघ में निविदादाता का कोई परिवारिक सदस्य समेकित वेतन/वेतनमान में (कर्मचारी/पदाधिकारी) के रुप में कार्यरत नहीं हो एवं निविदादाता के कार्य में किसी समेकित/नियमित सेवक का पूंजी नहीं लगा हो, उक्त आशय के संदर्भ में शपथ पत्र (नोटरी द्वारा) की मूल प्रति तकनीकि निविदा के साथ देना होगा।

26(ख). वैसे निविदादाता जिनके द्वारा पथों की विवरणी क्र. सं. 01 से 03 तक में उल्लेखित पथों के लिए आवेदन करने पर सुधा दुग्ध/दुग्ध जन्य पदार्थ/शीघ्र खराब होने वाले खाद्य पदार्थ/एफ. एम. सी. जी. उत्पादों के वितरण/प्रबंधन के क्षेत्र में न्यूनतम 03 वर्ष के कार्य का अनुभव रहने पर प्राथमिकता दी जाएगी (निविदादाता कार्य अनुभव के सत्यापन हेतु संबंधित संस्था/कंपनी/फर्म से निर्गत अधिकृत दस्तावेज की स्वःअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करेंगे)

CS CamScanner

26(ग). कॉम्फेड से सम्बन्ध किसी संघ/इकाई से काली सूचि में डाले गए/किसी गंभीर आरोप में/डिफॉल्टर के कारण हटाए गए वितरक या उनके परिवार (पति/पत्नी, आश्रित पिता/माता, आश्रित पुत्र/पत्नी) के किसी सदस्य द्वारा गिराई गई निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

26(घ). वर्तमान में सुपौल डेयरी के कार्यरत वितरक जिनके द्वारा 02 विपणन पथ संचालित किया जा रहा है वैसे वितरक या उनके परिवार (पति/पत्नी, आश्रित पिता/माता, आश्रित पुत्र/पत्नी) के किसी सदस्य द्वारा गिराई गई निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

27. राज्य या केंद्रीय लोक संस्था (PSU) के किसी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड/डिबार/निलंबित नहीं होने से संबंधित इस आशय का एक स्वघोषणा पत्र अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित कर मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

28. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये प्राप्त निविदाओं को पूर्ण या आंशिक रूप से रद्द/स्वीकार/संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

आवेदक का हस्ताक्षर
(ऑफिस मुहर के साथ)

CamScanner

कोसी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड

वितरक हेतु आवेदन पत्र
(प्री–क्वालिफिकेशन सह तकनीकि निविदा)

(कृपया मूल प्रति में ही बीड भरे एवं जमा करें)

फोटो
स्वहस्ताक्षरित
फोटो आवश्यक
रूप से चिपकाये।

(1) विपणन पथ का नाम (जिसके लिए आवेदन दिया जा रहा है) :

(2) आवेदक का पूरा नाम एवं पता :–
नाम :
पिता का नाम :
लिंग : जन्मतिथि :
शैक्षणिक योग्यता :
(कम–से–कम मैट्रिक या समकक्ष पास हो, प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें)

दो व्यक्तियों की अभियुक्ति (परिचयकर्ता के रूप में) पूरा पता एवं दूरभाष संख्या के साथ:–
(क)
(ख)

(3) आवेदक का अस्तित्व :
(क) स्वयं का स्वामित्व : (ख) साझेदारी :
(ग) कम्पनी: (घ) सहकारी समिति:

(4) स्थायी पता :–

वर्तमान पता :–
(मान्य दस्तावेज की छाया प्रति संलग्न करें)

(5) दूरभाष संख्या– निवास स्थल :–कार्यालय :–

मोबाईल नं0 :–

ईमेल :

(6) वर्तमान में किये जा रहे व्यवसाय का विवरण :–

(क) उपलब्ध गाड़ियॉं/आधार भूत संरचना (जो आवेदक के पास उपलब्ध है)

वाहन का प्रकार	गाड़ी की मॉडल संख्या	गाड़ी की पंजीयन संख्या	वाहन का भार / क्षमता	गाड़ी बन्द एवं छः तरफ स इन्सुलेटेड है या नहीं

(ख) कार्यालय का पता एवं कम्पनी का नाम :–
(ग) इस व्यवसाय में कब से जुड़े हुए हैं :–
(घ) कार्यालय का क्षेत्रफल (एरिया) :–

(7) कुल लागत पूँजी जो व्यवसाय में लगा सकते हैं, कुल राशि अंकित करें :–....................................

(वित्तीय स्थिति हेतु पिछले दो वर्षो का वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र पिछले दो वर्षो का आई0 टी0 रिटर्न/पिछले छः माह का बैंक पासबुक का अध्यतनकी प्रति संलग्न करेंगे।

CamScanner

(8) प्रस्तावित व्यवसाय में उपयोग होने वाले वाहन की विवरणी :–

गाड़ी का प्रकार (गाडी का अवधि 05 वर्षों से कम अवधि की रहने पर प्राथमिक्ता दी जायेगी)	गाड़ी अपनी है/ अनुबंधित है	गाड़ी की मॉडल/ पंजीयन संख्या	वाहन का भार क्षमता	गाड़ी बन्द एवं छः तरफ स इन्सुलेटेड है या नहीं

वितरण कार्य हेतु टाटा 407/महिन्द्रा पीकअप/छोटी गाड़ी या उसके समतुल्य गाड़ी अनुलग्नक 'क' में दिए गये विवरण के अनुसार होनी चाहिए, जिसमें दूध एवं दुग्ध उत्पाद लोड कर दूध विक्रेताओं के बीच वितरण करना अनिवार्य होगा। (ओनर बुक, वैध रोड परमिट, बीमा का कागजात की छाया प्रति एवं भाड़े की गाड़ी रहने की स्थिति में वाहन मालिक से स्टाम्प पेपर पर प्राप्त एक वर्ष तक की एकरारनामा/सहमति पत्र अथवा शपथ पत्र, जिसमें गाड़ी भाड़ा पर चलाने से संबंधित आवश्यक शर्त्तों का उल्लेख हो (विपरीत परिस्थिति को छोड़कर) की प्रति संलग्न करें। भाड़े की गाड़ी के मालिक का पैनकार्ड की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति एकरारनामा/सहमतिपत्र के साथ संलग्न करें।

(09) शीघ्र खराब होने वाले सामग्री जैसे दुध एवं दुग्ध उत्पाद या एफ0 एम0 सी0 जी0 न्यूनतम 03 वर्ष के कार्य से संबंधित प्रतिष्ठित संस्थान के वितरक का अनुभव है या नहीं। यदि हॉ, तो दस्तावेज के साथ विवरण प्रस्तुत करें।

(वितरक के रूप में न्यूनतम 03 वर्षो तक कार्य अनुभव जिसके प्रमाणिक साक्ष्य स्वरूप कार्य आवंटनपत्र/कार्यादेश/अनुभव प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा) कमिटी के समक्ष तकनीकी निविदा खोलने के दिन मूल प्रति पस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(10) पूर्व में अन्य व्यवसाय के वितरक के रूप में अगर अनुभव हो तो दस्तावेज के साथ विवरण प्रस्तुत करें।

(11) (क) पैन नम्बर :– ....

(प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करना है।)

(ख) जी0एस0टी0 नं0 :– ....

(प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करना है।)

(12) अग्रधन राशि के मद में ड्राफ्ट संख्या – दिनांक– राशि रू0– ....

राशि–राष्ट्रीयकृत/शाखा का नाम – ....

(13) (क) दुग्ध के वितरक हेतु आपकी रूचि क्यों है :– ....

....

....

(ख) उक्त पथ/क्षेत्र में प्रतिदिन अनुमानित बिक्री लक्ष्य क्या होगा। (कि ग्रा0/लीटर में.)

बढोत्तरी	छः माह बाद बिक्री लक्ष्य	एक वर्ष बाद बिक्री लक्ष्य
दूध (लीटर)		
दुग्ध उत्पाद (रूप्ये)		

(14) कॉम्फेड/कॉम्फेड की इकाई/संबंधित दुग्ध संघ में निविदादाता का कोई परिवारिक सदस्य समेकित वेतन/वेतनमान में (कर्मचारी/पदाधिकारी) के रुप में कार्यरत नहीं हो, एवं निविदादाता के कार्य में किसी समेकित/नियमित सेवक का पूंजी नहीं लगा हो का शपथ पत्र (नोटरी द्वारा) मूल कॉपी संलग्न करें

CS CamScanner

(15) राज्य या केंद्रीय लोक संस्था (PSU) के किसी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड/डिबार/निलंबित नहीं होने से संबधित इस आशय का एक स्वघोशणा पत्र अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित कर मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

आवश्यक शर्त्ते :– निविदा प्रपत्र के कंडिका (11) के संबंध में उपलब्धता (आवश्यक योग्यता) अगर निविदा देते समय तक न हो तो निविदादाता द्वारा कार्य आवंटन के अधिकतम 10 दिनों के अंदर उन्हें उपलब्ध करना होगा, जिसके भौतिक निरीक्षण के बाद एकरारनामा का सम्पादन करवाया जाएगा। उपरोक्त आवश्यक योग्यता शर्त्तों की प्रति पूर्त्ति होने की स्थिति में सभी शर्त्तों/कार्यों का सम्पादन जिसमें जमानत राशि जमा करना एवं एकरारनामा करना सम्मिलित होगा, 10 दिनों के अंदर सम्पन्न कर आवंटित कार्य प्रारम्भ करना होगा। **अन्य शर्त्त जो उसी बीड के कंडिका (08), (09), (12), (14), (15), एवं (26)(ख) में निहित है तकनीकि निविदा में योग्य होने के लिए आवश्यक है।** दुग्ध जन्य उत्पाद के लिए आवेदकों को वितरक (डिस्ट्रीब्यूटर) मार्जिन जो पूर्व घोषित है, मात्र देय होगा, जिसमें परिवहन एवं अन्य सभी खर्च सम्मिलित है।

मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ कि जो भी सूचना प्रपत्र में अंकित की गई है वह मेरी/हमारी जानकारी में सत्य है। अगर कभी भी उपर्युक्त अंकित जानकारी असत्य हो जाता है तो मेरी उम्मीदवारी बिना कारण स्वतः रद्द समझी जायेगी। उपरोक्त सभी सूचनाओं के मूल दस्तावेजों की जाँच की जा सकती है जिसके लिए मैं किसी भी समय उपस्थित रहूँगा।

दिनांकः–
स्थान :–

आवेदक का हस्ताक्षर
(ऑफिस मोहर के साथ)

CamScanner

कोसी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
गौरवगढ़, वार्ड संख्या 04, किशनपुर रोड, सुपौल

(ख) वितीय/प्राइस बीड
(कृप्या मूल प्रति में ही बीड भरें एवं जमा करें)

(1) विपणन पथ का नाम (जिसके लिये आवेदन दिया जा रहा है) :–

(2) आवेदक का पूरा नाम :–

(3) आपका इस क्षेत्र में चयन के पश्चात् शुरूआती बिक्री लक्ष्य का अनुमान क्या रहेगा
(दूध प्रति दिन लीटर में) :–

4) क) परिवहन खर्च प्रति ली0 + वितरक मार्जिन प्रति ली0 + लीकेज क्षति पूर्ति देय प्रति ली0 = कुल राशि रू0

.... + 0.37 + 0.10 = ------------
(अंक में)

ख) उक्त कार्य करने हेतु मेरे द्वारा न्यूनतम वितरक मार्जिन प्रतिलीटर लिया जायेगा।
रू0.. (अक्षर में)

ग) निविदादाता के द्वारा दिये गए परिवहन खर्च का ब्रेकअप(गणना तालिका)को संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(5) अगर दुग्ध एवं दुग्ध जन्य पदार्थ दोनों का वितरक कार्य आवंटित होता है, तब दुग्ध जन्य पदार्थ के लिए आवेदकों को वितरक (डिस्ट्रीब्यूटर) मार्जिन, जो पूर्व घोषित है मात्र देय होगा, परिवहन खर्च देय नहीं होगा। सभी दुग्ध जन्य पदार्थ प्रतिदिन एक बार डेयरी से अपने इन्सुलेटेड गाड़ी से उठा कर बिक्रेताओं के बीच वितरण करना होगा, जो मुझे मान्य है।

मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ कि जो भी सूचना प्रपत्र में अंकित की गई है। वह मेरी/हमारी जानकारी में सत्य है। अगर कभी भी उपर्युक्त अंकित जानकारी असत्य हो जाती है तो मेरी उम्मीदवारी बिना कारण स्वतः रद्द की जा सकती है जिसके लिए डेयरी स्वतंत्र होगा।

स्थान :– **आवेदक का हस्ताक्षर**
दिनांक :– **(ऑफिस मोहर के साथ)**

CamScanner

कोसी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
गौरवगढ़, वार्ड संख्या 04, किशनपुर रोड, सुपौल

निविदादाता निविदा भरने से पूर्व चेक लिस्ट के सभी कागजातों को देना सुनिश्चित करेगें।

तकनीकी निविदा के लिफाफे मेंसंलग्न करें।

क) आवश्यक दस्तावेज :–

1) अग्रधन एवं आवेदन की राशि का बैंक ड्राफ्ट मूल रूप में संलग्न है । हॉ / नहीं

2) गाड़ी के ऑनरबुक की छायाप्रति एवं इन्सुरेन्स का दस्तावेज का छायाप्रति संलग्न है। हॉ / नहीं

3) आवेदक द्वारा स्वयं की गाड़ी नहीं रहने की स्थिति में अन्य वाहन मालिक से प्राप्त स्टाम्प पेपर पर कम से कम एक वर्श हेतु वाहन मालिक से प्राप्त सहमति पत्र की मूलप्रति तथा वाहन मालिक का पैन कार्ड का हस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न है। हॉ / नहीं

4) वित्तीय स्थिति हेतु पिछले दो वर्शो का वार्षिक टर्नओवर प्रमाण पत्र/ दो वर्षो का आई0 टी0 रिटर्न/ छः माह का बैंक पासबुक का अध्यतन छायाप्रति संलग्न है। हॉ / नहीं

5) तकनीकी निविदा क्रमांक (14) के अनुरुप शपथ पत्र संलग्न है। हॉ / नहीं

6) तकनीकी निविदा क्रमांक (15) के अनुरूप स्वघोषणा पत्र संलग्न है। हॉ / नहीं

7) शीध्र खराब होने वाली या एफ0 एम0 सी0 जी0 का वितरक न्यूनतम 03 वर्ष के कार्य अनुभव से संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न है। हॉ / नहीं

ख) अन्य दस्तावेज :–

8) फोटो पहचान पत्र एवं पत्राचार के पता का प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न है। हॉ / नहीं

9) पैन नं0 एवं जी0एस0टी0 नं0 की छायाप्रति संलग्न है। हॉ / नहीं

10) पूर्व अनुभवों से संबंधित कार्यों की छायाप्रति संलग्न है। हॉ / नहीं

11) शैक्षणिक योग्यता की छायाप्रति संलग्न है। हॉ / नहीं

12) एकरारनामा का प्रारूप के सभी पृश्टों पर हस्ताक्षर कर संलग्न है। हॉ / नहीं

13) शपथपत्र एवं बंध प्रत्र प्रारूप पर हस्ताक्षर कर संलग्न है। हॉ / नहीं

वित्तीय निविदा के लिफाफे में आवश्यक रूप से

1) वित्तीय/प्राईस बीड परिशिष्ट संलग्न है । हॉ / नहीं

2) परिवहन खर्च का गणना तालिका ब्रेकअप संलग्न है। हॉ / नहीं

आवेदक का हस्ताक्षर

CS CamScanner

एकरारनामा

यह एकरारनामा कोसी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 के प्रबंध निदेशक/प्रतिस्थानी जिसके आगे प्रथम पक्ष के रूप में डेयरी के नाम से उल्लिखित होंगे एवं वितरक/उनके नामित उत्तराधिकारी/आश्रित/प्रशासक/संरक्षक ....जो इसके आगे द्वितीय पक्ष के रूप में वितरक के तौर पर उल्लिखित किए जायेंगे के बीच सुपौल डेयरी के नियंत्रणाधीन संचालित दूध/दुग्ध जन्य पदार्थ विपणन क्षेत्र ....में अवस्थित रिटेलरों/होटल/कैन्टिन/संस्थानों/भोजशालाओं को सुबह अथवा सुबह एवं संध्या पाली में सुधा ब्रांड दूध/दुग्ध जन्य पदार्थो के वितरण हेतु निम्नांकित शर्तो पर की जाती है।

1. डेयरी द्वारा दुध/दुग्ध जन्य पदार्थ के वितरक कार्य हेतु पत्र संख्या ....दिनांक................ के द्वारा वितरक को कार्यादेश दिया गया है जो उन्हें स्वीकार है। दोनों पक्ष आगे निम्न शर्तो पर कार्य करने हेतु तैयार है जो.............. क्षेत्र में दूध /दुग्ध जन्य पदार्थ के वितरण हेतु वितरक के रूप में दिनांक................ से.......................तक के लिए मान्य होगा जिसे आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है।

2. वितरक के द्वारा कोसी दुग्ध संघ, सुपौल का सुधा ब्रांड दूध/दुग्ध जन्य पदार्थ परिवहन गाड़ी (जो छः साईड से इन्सुलेटेड होना चाहिए) से प्रतिदिन एक पाली/प्रतिदिन दोनों पाली में सुपौल डेयरी से दूध/दुग्ध जन्य पदार्थ लोडकर अपने आवंटित क्षेत्र के सभी रिटेलर/दुकानदार/होटल/कैन्टिन/भोजशालाओं को समय से आपूर्ति सुनिश्चित करना होगा जिसके लिए डेयरी समय से वितरक को दूध/दुग्ध जन्य पदार्थ की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।

3. वितरक अपने परिवहन व्यवस्था के तहत डेयरी द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार एक पाली/दोनों पाली में निर्गत चालान के समतुल्य मात्रा में दूध/दुग्ध जन्य पदार्थ लोड कर अपने आवंटित पथ में अधिकृत रिटेलरों/होटल/संस्थान/भोजशाला को उनके मांग के अनुरूप मात्रा में दूध/दुग्ध जन्य पदार्थ की आपूर्ति करेंगे एवं डेयरी द्वारा निर्गत क्रेट आदि समान मात्रा में निर्धारित समय पर डेयरी को वापस करना सुनिश्चित करेंगे।

4. डेयरी द्वारा आपूर्ति किए गये क्रेट एवं वितरक द्वारा डेयरी को लौटाये गये क्रेट का लेखा जोखा डेयरी द्वारा किया जाएगा। वितरक अपने स्तर से आगत–निर्गत क्रेट का अपना लेखा खुद रखेंगे। अपने सुविधानुसार वे दैनिक/साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक रूप से डेयरी के साथ अपना क्रेट का मिलान (रिकॉन्सिलिएशन) आवश्यक रूप से करेंगे एवं किसी भिन्नता की स्थिति में अपना दावा प्रमाण पत्र के साथ डेयरी को ससमय प्रस्तुत करेंगे तथा सुधार करा लेंगे। ऐसा नही किए जाने की स्थिति में डेयरी द्वारा तैयार किया गया अभिलेख को सही मानते हुए कम जमा किए गये क्रेट के लिए समतुल्य राशि (क्रेट का वास्तविक मूल्य) वितरक द्वारा जमा किए गये अग्रिम राशि से मासिक तौर पर एक मुश्त कटौती करली जाएगी। इसी प्रकार डेयरी द्वारा निर्गत क्रेट वितरक द्वारा क्षति ग्रस्त कर डेयरी को लौटाये जाने की स्थिति में क्षति ग्रस्त सामानों के निर्धारित मूल्य की वसूली उन से कर लीजाएगी।

5. वितरक अपने आवंटित क्षेत्र में विपणन विस्तार के लिए प्रतिमाह नया स्थल/दुकान की पहचान कर नया रिटेलर नियुक्त किए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगे एवं अपने पथ प्रभारी के माध्यम से रिटेलर नियुक्ति की प्रक्रिया आरम्भ करेंगे तथा रिटेलर नियुक्ति के पश्चात् नियुक्त रिटेलर को उनके मांग के अनुरूप प्रतिदिन/प्रतिदिन दोनोंपाली में दूध/दुग्ध जन्य पदार्थ की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। यदि वितरक के द्वारा रिटेलर को दूध/दुग्ध जन्य पदार्थ की आपूर्ति नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में वितरक पर आर्थिक जूर्माना निर्धारित किया जाएगा अथवा आवश्यक पाये जाने पर उनके कार्य क्षेत्र से आवश्यकता के अनुरुप क्षेत्र की कटौती की जा सकती है एवं उसे अन्य क्षेत्र में जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार अन्य पथों से क्षेत्र की कटौती कर उनके क्षेत्र में जोड़ा जा सकता है।

CamScanner

6. वितरक अपने आवंटित क्षेत्र के रिटेलरों पर निगरानी रखेंगे कि रिटेलर डेयरी द्वारा निर्धारित दर पर ही दूध/दुग्ध जन्य पदार्थ की बिक्री करें। डेयरी द्वारा दूध/दुग्ध जन्य पदार्थ का दाम समय–समय पर निर्धारित किया जाएगा जिसके आधार पर वितरक रिटेलरों से रिटेलर मार्जिन काटकर अग्रिम राशि प्राप्त करेंगे एवं रिटेलरों को दूध/दुग्ध जन्य पदार्थ की आपूर्ति करेंगे तथा उनके क्षेत्र के रिटेलर उक्त दूध/दुग्ध जन्य पदार्थ को डेयरी द्वारा निर्धारित दर पर ही बिक्री करेंगे। वितरक अपने क्षेत्र के रिटेलरों पर निगरानी रखेंगे कि रिटेलर डेयरी द्वारा निर्धारित उपभोक्ता दर पर ही दूध/दुग्ध जन्य पदार्थ की बिक्री करें। अधिक दर वसूल करने वाले रिटेलरों के संदर्भ में डेयरी को सूचित करेंगे ताकि ऐसे रिटेलरों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध उचित कार्रवाई की जा सके।

7. वितरक अपने एकरारनामा अवधी के दौरान डेयरी द्वारा निर्धारित नियम एवं कानून का पालन सुनिश्चित करेंगे एवं डेयरी द्वारा सुरक्षा/समय सारिणी के संदर्भ में निर्धारित दिशा निर्देश के तहत ही अपना कार्य सम्पादित करेंगें।

8. डेयरी द्वारा माहवार दूध/दुग्ध जन्य पदार्थ बिक्री का लक्ष्य निर्धारित कर वितरक को दिया जाएगा जिसे वितरक के द्वारा पुरा करना आवश्यक होगा। माह समाप्ति के पश्चात् डेयरी द्वारा लक्ष्य प्राप्ति की समीक्षा की जाएगी एवं लक्ष्य प्राप्ति नहीं होने की स्थिति में वैसे वितरक का अगला कार्य काल तब तक विस्तारित नहीं किया जाएगा जब तक डेयरी को प्रमाण सहित सन्तुष्ट नहीं करते कि लक्ष्य प्राप्त नहीं होने में उनका कोई दोष नही है। इसके लिए उन पर आर्थिक जूर्माना भी लगाया जा सकता है।

9. वितरक प्रतिदिन संध्या पाली के लिए 12 बजे दिन तक एवं सुबह पाली के लिए 4 बजे संध्या तक निर्गत किए जाने वाले दूध/दुग्ध जन्य पदार्थ का डिमांड डेयरी को शौंप देंगे तथा दिए गये डिमांड के समतुल्य राशि डेयरी के अधिकृत बैंक शाखा में जमा कर जमा संबंधी प्रमाण पत्र संघ कार्यालय को शौंप देंगे ताकि समय से उनके दूध/दुग्ध जन्य पदार्थ का चालान निर्गत किया जा सके। रविवार या बैंक बंदी के दिन डिमांड का समतुल्य राशि शनिवार को ही डेयरी के बैंक खाते में आवश्यक रूप से जमा कर देंगे। इसी तरह बैंक दो दिन तक बंद रहने की स्थिति में बंदी के पूर्व के कार्य दिवस तक दो दिनों का पैसा आवश्यक रूप से डेयरी के बैंक खाते में जमा करना अनिवार्य होगा। सामान्य दिनों में दूध एवं दुग्ध जन्य पदार्थो के मांग के समतुल्य राशि दर दिन 4:30 बजे से 5:00 बजे अपराह्न तक डेयरी के खाते में जमा हो जाना अनिवार्य होगा, तदानुसार मांग की आपूर्ति दी जायेगी।

10. वितरक अपने आवंटित पथ के रिटेलरों को उनके मांग के अनुरूप दूध/दुग्ध जन्य पदार्थ की आपूर्ति हेतु समुचित मात्रा में इन्सुलेटेड बंद गाड़ी की व्यवस्था करेंगे ताकि पुरा दूध/दुग्ध जन्य पदार्थ रिटेलरों को आपूर्ति हो सके। गली में अवस्थित दूध बिक्री केन्द्र तक बड़ी गाड़ी जाने लायक सड़क नहीं होने की स्थिति में छोटी गाड़ी/ऑटो जो इन्सूलेटेड हो कि व्यवस्था रखनी होगी ताकि सभी दूध बिक्री केन्द्र तक दूध/दुग्ध जन्य पदार्थ आसानी से पहुँचाया जा सके। किसी भी स्थिति में खुली गाड़ी से दूध/दुग्ध जन्य पदार्थ परिवहन एवं वितरण करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

11. दूध/दुग्ध जन्य पदार्थ परिवहन में प्रयुक्त गाड़ी छः तरफ से कम से कम दो इंच मोटा इंसुलेटेड मेटेरियल से युक्त होना चाहिए ताकि गाड़ी में रखा दूध/दुग्ध जन्य पदार्थ धूप, वर्षा एवं धूलकण से बचा रहे। यदि वितरक की दूध परिवहन में प्रयुक्त गाड़ी खुला पाया जाता है तो इसके लिए डेयरी संबंधित वितरक पर आर्थिक जुर्माना लगा सकती है एवं सुधार नहीं होने की स्थिति में वितरक कार्य से उन्हें हटाया जा सकता है। परिवहन वाहन को डेयरी के निर्धारित माप दण्ड के आधार पर पेंटिंग कराया जाएगा। गाड़ी का परिचालन राज्य परिवहन कार्यालय से रजिस्टर्ड होना चाहिए एवं रजिस्ट्रेशन की एक छाया प्रति वितरक के द्वारा डेयरी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं कार्य अवधी के दौरान परिवहन गाड़ी का परिचालन लागू मोटर वाहन अधिनियम/नियम के तहत करना सुनिश्चित करेंगे।

12. दूध/दुग्ध जन्य पदार्थ परिवहन में प्रयुक्त गाड़ी के चालक एवं अन्य कर्मी वितरक के कर्मचारी होंगे एवं उन कर्मियों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत वेतन एवं अन्य लाभ का भुगतान वितरक के द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।

13. दूध/दुग्ध जन्य पदार्थ परिवहन वितरण एवं वितरक के अन्य कार्य में लगे हुए कर्मी कार्य अवधी में अथवा कार्य समाप्त होने के पश्चात् डेयरी से किसी भी लाभ के हकदार नहीं होंगे एवं संबंधित कर्मी पूर्ण अनुशासित स्थिति में अपने कर्तव्यों का सम्पादन करेंगे। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो डेयरी द्वारा वितरक को ऐसे कर्मी को अविलम्ब कार्य से हटाने हेतु कहा जा सकताहै जिसके पश्चात् ऐसे कर्मी को वितरक कार्य से हटा देंगे।

CamScanner

14. वितरक द्वारा डेयरी से दूध अथवा/एवं दुग्ध जन्य पदार्थ प्राप्त कर डेयरी से बाहर जाने के बाद किसी भी आकस्मिक परिस्थिति जैसे चोरी/गाड़ी दूर्घटना/दंगा/आग लगने आदि स्थिति में संभावित क्षति की भर पाई हेतु उक्त सामानों का बीमा कराना आवश्यक होगा। ऐसी किसी भी परिस्थति में वितरक को हुए क्षति की पूर्ति डेयरी द्वारा नहीं की जाएगी।

15. वितरक के द्वारा डेयरी के डिस्पैच डॉक से डेयरी द्वारा समय-समय पर निर्धारित समय सारिणी के अनुरूप दूध एवं दुग्ध जन्य पदार्थ प्राप्त कर निर्धारित नियमानुसार बिक्रेताओं के बीच समय से वितरण करना एवं पथ से खाली क्रेट आदि प्राप्त कर निर्धारित समय से डेयरी को वापस कर देना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं किए जाने की स्थिति में वितरक पर आर्थिक जूर्माना लगाया जा सकता है।

16. वितरक के द्वारा डेयरी से प्राप्त किया गया दूध एवं दुग्ध जन्य पदार्थ समय से अधिकृत रिटेलरों को आपूर्ति करना अनिवार्य होगा। गाड़ी खराब हो जाने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत दुसरी गाड़ी की व्यवस्था कर सामानों की आपूर्ति करना वितरक की जवाबदेही होगी। गाड़ी खराब हो जाने की स्थिति में खराब हुए/शेश बचे अथवा चोरी हुए सामनों की जवाबदेही डेयरी की नहीं होगी।

17. यदि किसी कारणवश वितरक अपने आवंटित पथ में दूध अथवा दुग्ध जन्य पदार्थो की आपूर्ति नहीं करते हैं तो डेयरी अपने स्तर से परिवहन की व्यवस्था कर पथ में आपूर्ति करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा इस कृत्य के लिए वितरक पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है एवं इसके विरूद्ध वितरक कोई प्रश्न पूछने के हकदार नहीं होंगें।

18. वितरक को डेयरी द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर इन्सुलेटेड परिवहन गाड़ी से रिटेलरों/संस्थानों आदि को दुग्ध/दुग्ध जन्य पदार्थों की आपूर्ति करना होगा। ऐसा नहीं किए जाने की स्थिति में कोसी दुग्ध संघ सुपौल वितरक पर रू0 200/- (दो सौ) प्रतिदिन के हिसाब से जूर्माना लगा सकती है एवं इन्सुलेटेड वाहन के अभाव में यदि किसी कारणवश डेयरी को दूध लौटाया जाता है तो दूध के गुणवत्ता की जॉच के आधार पर ही दूध वापस लिया जाएगा एवं लौटाये गये दूध के लिए 1.50 (डेढ़)रू0 प्रति ली0 के दर से विधायन खर्च की वसूली वितरक से की जाएगी।

19. डेयरी द्वारा वितरक को आपूर्ति किए गये दूध एवं दुग्ध जन्य पदार्थों की बिक्री वितरक सिर्फ उन्हें आवंटित पथ के रिटेलरों/संस्थानों को ही करेंगे। किसी भी परिस्थिति में वे अन्य क्षेत्र के रिटेलर/संस्थान को दूध अथवा दुग्ध जन्य पदार्थों की बिक्री/आपूर्ति नहीं करेंगे। ऐसा करते पाये जाने पर उन्हें वितरक कार्य से हटाया जा सकता है।

20. वितरक अपने परिवहन गाड़ी द्वारा डेयरी के डिस्पैच डॉक से अपने मांग के अनुरूप पूर्ण मात्रा एवं गुणवत्ता का सामान निर्धारित नियम के तहत प्राप्त करेंगे इसके लिए उनके परिवहन वाहन पर तैनात कर्मियों का फोटो युक्त परिचय पत्र निर्गत करेंगे ताकि उन्हें डेयरी में प्रवेश दिया जा सके। डेयरी से प्राप्त दूध एवं उत्पाद को गाड़ी में लोड करने एवं रिटेलरों के बीच सुगमता से ससमय वितरण हेतु तीन हजार लीटर क्षमता वाली गाड़ी पर न्यूनतम दो लोडर के रूप में कर्मी तैनात करना आवश्यक होगा। बिना फोटो युक्त परिचय पत्र के किसी भी व्यक्ति को डेयरी में प्रवेश करने नही दिया जाएगा। इसी प्रकार वितरक के द्वारा अपने अन्य स्टाफ के लिए भी फोटो युक्त परिचय पत्र निर्गत किया जाएगा ताकि उनके स्टाफ को वितरक के किसी कार्य के सिलसिले में डेयरी में प्रवेश दिया जा सके। बिना फोटो युक्त पहचान/परिचय पत्र के वितरक के स्टाफ डेयरी में प्रवेश नहीं कर पायेंगे। वितरक कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व अपने कर्मियों का फोटो युक्त पहचान पत्र/परिचय पत्र की सत्यापित छायाप्रति डेयरी के कार्यालय में जमा करना होगा।

21. डेयरी के पदाधिकारी/कर्मचारी वितरक के कार्यालय एवं वितरक कार्यालय में संधारित रजिस्टर/अभिलेख आदि का निरीक्षण कर सकते है। इसके लिए डेयरी द्वारा मांगे जाने पर वितरक को अभिलेख दिखाना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार डेयरी वितरक की गाड़ी से पथ में आपूर्ति होने वाले दूध/दुग्ध जन्य पदार्थ आदि के वितरण का निरीक्षण कर सकती है एवं आपूर्ति किए जा रहे दूध/दुग्ध जन्य पदार्थ के गुणवत्ता की भी जॉच कर सकती है।

22. डेयरी अपने रिटेलर/उपभोक्ताओं के कठिनाईयों आदि को समाप्त करने के उद्धेश्य से वितरक कार्यालय में बैठक का आयोजन करेगी इसके लिए वितरक को अपने कार्यालय में इस हेतु स्थल उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ वितरक अपने कार्यालय में आवश्यक रूप से मोबाईल की व्यवस्था रखेंगे ताकि वितरक से आसानी से सम्पर्क किया जा सके।

23. वितरक को आवंटित क्षेत्र में यदि कोई रिटेल आउटलेट/कियोस्क/पक्का बूथ बंद अथवा आंशिक बंद पाया जाता है तो डेयरी तत्काल इसके लिए वितरक से सम्पर्क कर उसे चालू रखने/करवाने हेतु कहेगी एवं तदोपरान्त वितरक उस बंद/आंशिक बंद पड़े बूथ को चालू करवाने हेतु वाध्य होंगे तथा यदि संघ द्वारा किसी रिटेल आउटलेट/कियोस्क/पक्का बूथ को बंद अथवा आंशिक बंद किया जाता हो तो वितरक को उसी के अनुसार बंद अथवा आंशिक बंद करने को बाध्य होगें।

CamScanner

24. वितरक को आपूर्ति किए गये क्रेट की वापसी का मासिक भौतिक सत्यापन/लेखा पोषण में कमी पाये जाने पर वितरक से ऐसे कमी के लिए समतुल्य राशि की कटौती/वसूली उनसे की जाएगी।

25. वितरक के द्वारा रिटेलरों को आपूर्ति किए गये दूध के पैकेट के लिकेज की जॉच रिटेलर द्वारा किया जाएगा एवं वितरक के द्वारा रिटेलरों को लिकेज पाउच को छॉट कर अच्छा पैकेट दूध ही आपूर्ति करना होगा एवं इसके लिए वितरक रिटेलर के साथ कोई बहस नहीं करेंगें। वितरक ऐसे लिकेज पाउच की दैनिक सूचना डेयरी को कर सकते है जिसके आधार पर डेयरी लिकेज कम करने हेतु कदम उठायेगी।

26. डेयरी द्वारा आपूर्ति किया गया दूध/दुग्ध जन्य पदार्थ किसी भी परिस्थिति में (जन आंदोलन/दंगा/आग/प्राकृतिक आपदा को छोड़कर) डेयरी में सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति के बिना वापस नहीं लिया जाएगा एवं उपरोक्त कारणों से वापस किए गये दूध/दुग्ध जन्य पदार्थ के लिए कमिटि की अनुशंसा से वितरक से किए जाने वाली कटौती से उन्हें मुक्त किया जा सकता है।

27. डेयरी द्वारा निर्गत क्रेट डिस्पैच डॉक से प्राप्ति के पश्चात् उक्त सामान वापस ही हालत में डेयरी को वापस करना वितरक की जवाबदेही होगी। आवागमन के क्रम में निर्गत सामानों की सुरक्षा की जवाबदेही वितरक की होगी एवं यदि कोई रिटेलर डेयरी द्वारा निर्गत क्रेट को अनावश्यक रोक लेते है/गंदा या क्षतिग्रस्त कर देते हैं तो इसकी जवाबदेही वितरक की होगी कि वे डेयरी द्वारा निर्गत सामानों को सही अवस्था में डेयरी को वापस कर दें। यदि किसी रिटेलर पर सामानों के क्षतिग्रस्त अथवा गंदा करने के कारण जूर्माना किया जाता है तो वितरक की जवाबदेही होगी कि वे जुर्माना राशि रिटेलर से प्राप्त कर सात दिनों के अंदर डेयरी में जमा करा दें।

28. वितरक के द्वारा उन्हें आवंटित पथ के लिए जमानत राशि के तौर पर डेयरी मे कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व जमा करना होगा जो वितरक के कार्यकाल तक ब्याज रहित डेयरी में जमा रहेगा जो उनके कार्य समाप्ति के पश्चात् उनके जिम्मे किसी प्रकार का बकाया रहने पर उसकी कटौती करते हुए शेष रकम उन्हें वापस कर दी जाएगी। कार्य अवधी विस्तार की स्थिति में उस अवधी में प्रचलित दर एवं क्रेट की संख्या के आधार पर जमानत राशि निर्धारित किया जाएगा जिसे वितरक द्वारा जमा करना होगा।

29. कार्य अवधी विस्तार की स्थिति में उस अवधी में लागू दूध एवं दुग्ध जन्य पदार्थ का दर के आधार पर जमानत की राशि का निर्धारित पुनः किया जाएगा जिसे वितरक द्वारा जमा करना होगा।

30. एकरारनामा समाप्ति के पश्चात् यदि वितरक का कार्य पुनः विस्तारित किया जाता है तो उनके पिछले कार्यकाल का बकाया आदि यदि कोई होगा तो उसे उनके अगले कार्यकाल में जोड़ दिया जाएगा एवं उसके निपटारे के पश्चात् ही नये एकरारनामा को सम्पादित किया जाएगा।

31. नियुक्ति के पश्चात् वितरक का कार्यकाल 01 वर्ष के लिए दिनांक..............से ....तक के लिए होगा तथा डेयरी के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वितरक के कार्यकलाप आदि की समीक्षा कर उसे संस्था हित मे पाये जाने पर पुनः अवधी विस्तार करे अथवा उन्हें अयोग्य पाये जाने पर कभी भी सूचित करते हुए अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के परिस्थिति के अनुसार वितरक का कार्य समाप्त कर सकेगा।

32. जैसा कि एकरारनामा के कंडिका 31 में वितरक का कार्य अवधी दर्शाया गया है परन्तु यदि डेयरी यह अनुभव करेगी कि वितरक का कार्य योजना हित मे नहीं है एवं वितरक के द्वारा डेयरी द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्त का उल्लंघन किया जा रहा है अथवा अमान्य किया जा रहा है तो ऐसी परिस्थिति मे डेयरी तत्काल प्रभाव से उनका वितरक का कार्य सकारण सूचना देते हुए समाप्त कर सकती है।

33. वितरक को आवंटित कार्य किसी भी परिस्थिति मे वितरक के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति/पार्टी/संस्था को आवंटित/बेचा नहीं जा सकेगा।

34. वितरक जिन्हें डेयरी के दूध वितरक का कार्य आवंटित किया जाएगा अपने कार्यकाल में किसी अन्य संस्थान जो दूध/ दुग्ध जन्य पदार्थ का कारोबार करती है, के साथ कारोबार नहीं करेंगे।

35. वितरक प्रत्येक माह की समाप्ति के पश्चात् अगले माह के 7 तारीख तक अपने पथ के रिटेलरों का मासिक बिक्री प्रतिवेदन डेयरी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे एवं इसके लिए वे रिटेलरवाईज दैनिक/मासिक दूध/दुग्ध जन्य पदार्थ आपूर्ति/राशि बकाया संबंधी लेजर प्रतिमाह रिटेलर को सौंपेगें।

36. वितरक के द्वारा रिटेलरों को हर समय दूध/दुग्ध जन्य पदार्थ आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्धेश्य से अपने कार्यालय में डीपफ्रीज की व्यवस्था रखते हुए स्वच्छ स्थिति में डेयरी के निर्धारित नियम के तहत तथा नगरनिगम एवं स्वास्थ्य विभाग के नियम एवं शर्तो के अनुरूप दूध/दुग्ध जन्य पदार्थ को रखेंगे एवं रिटेलरों के मांगे जाने पर उक्त सामानों की आपूर्ति करेंगें। इस हेतु वितरक खाद्य सामग्री का व्यापार लाइसेंस संबंधित विभाग से प्राप्त कर अपने कार्यालय में रखेंगे एवं इस हेतु सरकार/डेयरी द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं को अपने खर्च पर पुरा करेंगे।

CamScanner

37. यह स्पष्ट है कि यह एकरारनामा व्यापारिक दृष्टिकोण से सम्पन्न किया गया है जिसके तहत वितरक डेयरी द्वारा आपूर्ति किए गये विभिन्न उत्पादो को अपने आवटित रिटेलरों के माध्यम से बिक्री करेंगे न कि डेयरी के कर्मी/एजेन्ट के रूप में। वे अपने बदले में ही उक्त कारोबार का संचालन करेंगे एवं इसके फलस्वरूप वे डेयरी से उन्हें देय मार्जिन के अतिरिक्त अन्य कोई दावा नहीं कर सकेंगे।

38. वितरक अपने आवंटित क्षेत्र के रिटेलरों के माध्यम से दूध एवं दुग्ध जन्य पदार्थो की बिक्री के निमित्त उपलब्ध स्थल को साफ सुथरा रखेंगे एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निदेशों का पालन शख्ती से करते हुए ही अपना कारोबार कर सकेंगे। यदि निर्धारित नियम एवं शर्तो का उल्लंघन पाया जाएगा तो तत्काल उनका वितरक का कार्य समाप्त किया जा सकता है।

39. डेयरी को वितरक को आवंटित क्षेत्र मे नया क्षेत्र जोड़ने अथवा हटाने तथा इसी प्रकार उनके क्षेत्र में रिटेलरों को जोड़ने अथवा हटाने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

40. यदि वितरक द्वारा गाड़ी में जगह के अभाव में रिटेलर का डिमांड कटौती कर आपूर्ति करते हैं एवं इसके चलते क्षेत्र के उपभोक्ताओ को दूध की कमी के चलते दूध अथवा दुग्ध जन्य पदार्थों के खरीद में कठिनाई आती है तो ऐसी परिस्थिति में वितरक को आवंटित वितरक का कार्य बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है।

41. कार्य अवधी के समाप्ति के पश्चात् डेयरी द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किए जाने की स्थिति में वितरक द्वारा कार्य अवधी समाप्ति से कम से कम तीन माह तक आवंटित कार्य वितरक द्वारा नहीं छोड़ा जा सकेगा।

42. वितरक के अधीन कार्यरत कोई कर्मी (चालक/खलासी सहित) यदि डेयरी के किसी सामान को क्षति पहुँचाते/चोरी करते पकड़े जाते हैं तो डेयरी द्वारा इसके लिए वितरक को लिखित सूचना दी जाएगी एवं तदोपरान्त वितरक वैसे कर्मी/स्टाफ को कार्य से हटा देंगे एवं उनके उक्त कृत्य के लिए डेयरी को हुए क्षति की प्रतिर्पूति वितरक को करना होगा। इस हेतु वितरक अपने अधीन कार्यरत कर्मियों पर नियंत्रण एवं निगरानी रखेंगे।

43. डेयरी द्वारा वितरकों के आपूर्ति के लिए सभी उत्पाद के लिए एक्स फैक्ट्री दर लागू किए जाने के फलस्वरूप सरकार द्वारा निर्धारित नियम एवं टैक्स आदि का भुगतान संबंधित विभाग को किया जाना वितरक की जवाबदेही होगी। ऐसा नही किए जाने की स्थिति में डेयरी को होनेवाले किसी क्षति/ह्रास की क्षतिपूर्ति वितरक से की जाएगी।

44. डेयरी एवं वितरक के बीच सभी नियम/शर्त/एकरारनामा में उत्पन्न किसी विवाद की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट मिल्क कॉ–ऑपरेटिव फेडरेशन लि० अथवा उनके प्रतिनिधि मुख्य पंच होंगे जिनका फैसला अंतिम एवं दोनो पक्षों के समान रूप से मान्य होगा।

45. डेयरी एवं वितरक के बीच कोई विधिक समस्या उत्पन्न होने की स्थिति में विधिक क्षेत्र सुपौल होगा।

46. कार्य अवधी के दौरान एकरारनामा/नियम एवं शर्तों में कोई नया नियम/शर्त जोड़ने अथवा हटाने के लिए प्रबन्ध निदेशक, कोसी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, सुपौल स्वतंत्र एवं पूर्ण सक्षम होंगे जिसकी लिखित सूचना वितरक को दे दी जाएगी।

47. वितरक द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान वितरक कार्य अथवा वितरण से संबंधित कार्य में लगाये गये व्यक्ति/एजेन्सी/सम्पत्ति का डेयरी परिसर अथवा डेयरी परिसर से बाहर हुए दूर्घटना/क्षति की जिम्मेवारी डेयरी की नहीं होगी एवं वितरक इस संबंध में डेयरी को मुक्त रखेंगे।

48. डीजल मूल्य में कम से कम रु 3/–(तीन) बढ़ोतरी/घटोतरी होने पर परिवहन दर में बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी कॉम्फेड पटना के दिशा–निदेश के आलोक में समय समय पर किया जाएगा।

49. वितरक से वसूलनीय कोई भी राशि/क्षतिपूर्ति राशि सभी अन्य उपायों के साथ साथ पब्लिक रिकवरी एक्ट के प्रावधानों के तहत करने का अधिकार डेयरी को सुरक्षित रहेगा।

50. वितरक को अपने कार्य क्षेत्र में कार्यरत रिटेलरों से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद हेतु अग्रिम राशि अपने बैंक खाते में जमा लेने के लिए ऑनलाईन सुविधा (फोन पे0, गुगल पे0, ऑनलाईन बैंक ट्रांस्फर इत्यादि) मुहैया कराना आवश्यक होगा ।

CamScanner

51. कार्यादेश संख्या ....दिनांक.......................... इस एकरारनामा के अभिन्न अंग होंगे एवं उसमें उल्लिखित शर्तें भी इस एकरारनामा के शर्तों में शामिल समझा जाएगा।

यह एकरारनामा कोसी दुग्ध संघ सुपौल एवं वितरक के बीच दिनांक......... माह .... वर्ष .... को निम्न गवाह के समक्ष सम्पन्न हुआ।

<u>उपस्थिति /गवाह (प्रथम पक्ष)</u>

01.

02

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)

प्रबंध निदेशक
कोसी दुग्ध संघ, सुपौल

<u>उपस्थिति /गवाह (द्वितीय पक्ष)</u>

01.

02

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)
वितरक
वितरक कोड
पथ/क्षेत्र का नाम

CamScanner

शपथ पत्र

यह शपथ पत्र श्री .... पिता ....
(वितरक का नाम)

उम्र .... वर्ष .... पूर्ण पता ....

....

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा किया गया एकरारनामा दिनांक .... जो कोसी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, गौरवगढ़ वार्ड संख्या 04, किशनपुर रोड, जिला–सुपौल 852131 के साथ दुग्ध वितरक का कार्य सम्पादित किए जाने के संदर्भ में मेरे द्वारा एकरारनामा को पढ़ा/समझा गया एवं यह शपथपत्र पर हस्ताक्षर किया गया।

शपथ कर्ता का हस्ताक्षर

सत्यापन

आज दिनांक .... माह .... वर्ष .... को उपरोक्त शपथ पत्र को मेरे द्वारा सत्यापित किया गया जो मेरी जानकारी में सत्य है एवं कोई भी सूचना छुपा या नहीं गया है।

शपथकर्ता

मेरे द्वारा पहचान किया गया।

कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटरी

बंध पत्र

हम (1) श्री .... उम्र .... वर्ष निवास स्थान का पुरा पता ....

....

.... किया जा रहा कार्य ....

(2) श्री .... उम्र .... वर्ष निवास स्थान का पुरा पता ....

....

.... किया जा रहा कार्य ....

एतद् द्वारा श्री ....

....

....बंध पत्र देता/देते है कि कोसी दुग्ध उत्पादक सहाकारी संघ सुपौल के द्वारा इन्हें आवंटित वितरक का कार्य ये पूर्ण निष्ठा एवं लगन से सम्पादित करेंगे एवं एकरारनामा में सम्पन्न सभी नियमों एवं शर्तों का पालन करेंगे। यदि कभी इनके द्वारा कोई ऐसा गलत कार्य किया जाता है जिससे सुपौल डेयरी को क्षति हो तो हम इस बंध पत्र के माध्यम से दो–दो लाख रू0 (प्रत्येक) सुपौल डेयरी को भरने के लिए वाध्य होंगे। इस बंध पत्र के माध्यम से हम यह भी घोषणा करते हैं कि सुपौल डेयरी को हुए किसी भी क्षति की प्रति पूर्ति वितरक से नहीं हो पाने की स्थिति में हम हुए क्षति की प्रति पूर्ति करने के लिए वाध्य होंगे साथ ही हम यह भी घोषणा करते हैं कि एकरारनामा के नियम एवं शर्तों से हम किसी भी परिस्थिति में अलग नहीं होंगें। इस हेतु हमने एकरारनामा की मूल प्रति को पढ़ा और समझ लिया है एवं एतद् द्वारा संयुक्त बंध पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे है।

<u>बंध पत्रदाता का हस्ताक्षर</u>

1. नाम .... हस्ताक्षर ....
2. नाम .... हस्ताक्षर ....

<u>गवाह का हस्ताक्षर</u>

1. नाम .... हस्ताक्षर ....
2. नाम .... हस्ताक्षर ....

CamScanner